HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16929/2025

Jahid Alias Bulti S/o Nasru, Aged About 40 Years, R/o Garhi Mewat, Police Station Khoh, District Deeg (Rajasthan)
(At Present Confined in District Jail, Deeg)

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)

Order

10/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना खोह, जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 132 भारतीय न्याय संहिता व 3, 25(6) आयुध अधिनियम, 1959 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, वह दिनांक 07.11.2025 से अभिरक्षा में है, उसके विरूद्ध आरोप विरचित कर दिए गए हैं। प्रकरण में साक्षीगण के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त पर फायर किया, जिससे उसके दोनों पैरों के घुटनों के नीचे लगी है। उसके विरूद्ध पूर्व में जो प्रकरण लंबित रहे हैं मात्र उस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के द्वारा अस्वीकार कर खारिज नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एक प्रकरण विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध तथा उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस पर फायर करने का आदी होने के आधार पर पुलिस ने जब प्रार्थी को रूकने का इशारा किया तो वह मिट्टी के ढेर और गाड़ी की ओट व बबूल के पेड़ की ओर गया जिस पर पुलिस ने प्रार्थी पर फायर किया, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त के पैरों व घुटनों के नीचे लगी। किसी भी साक्षीगण के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं। वह दिनांक 07.11.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 30 आपरधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत से रिहा किये जाने पर इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **जाहिद उर्फ बुल्टी पुत्र नसरू** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता

है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इसमें चूक करने पर संबंधित थानाधिकारी अविलम्ब संबंधित न्यायालय को सूचित करें।

प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है, तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा निरस्त करवाने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की पालना हेतु इस आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने को अविलम्ब भिजवायी जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

6/NIKITA